

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 1066 / FP/UK/ROAD/36039/2018 देहरादून: दिनांक: 9 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग-3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत टवामोड़ से कोट अमोड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.565 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online proposal no- FP/UK/ROAD/36039/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.565 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। प्रस्तावित प्रकरण में पातन होने वाले वृक्षों की संख्या 33 है, जो कि प्रति है० 50 से अधिक है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/36039/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद-चम्पावत।
6. प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत।

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत टवामोड़ से कोट अमोडी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.565 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/36039/2018)

जनपद-चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत टवामोड़ से कोट अमोडी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.565 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के अन्तर्गत 0.565 है० राजस्व वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-चम्पावत/प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। प्रस्तावित प्रकरण में पातन होने वाले वृक्षों की संख्या 33 है, जो कि प्रति है० 50 से अधिक है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनाम:

हस्ताक्षर:

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

APCCF & NODAL OFFICER (F.O.)

सरकारी मोहर: (UTTARAKHAND, DEHRADUN)

तिथि : 08/10/2020

स्थान : देहरादून